<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट (30 जून, 2009 को समाप्त तिमाही (01.04.2009 से 30.06.2009 तक)</u>

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	369
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ञ) के अंतर्गत 1 अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया है।
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	मुख्य सूचना आयुक्त को भेजी गई अपील की संख्या-5 • केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के प्रति पॉच द्वितीय अपीलें हैं। दो मामलों में, अपीलार्थियों ने पहली अपील दाखिल नहीं की है। • चार अपीलों का निर्णय सी आई सी द्वारा किया गया है। • तीन अपीलों में निर्णय के अनुसार सी आई सी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर से सहमत थे। ऐसे मामले में अपने पूर्व निर्णय के आधार पर सी आई सी द्वारा एक अपील का निर्णय किया गया है। • एक अपील में, मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा है कि यद्यपि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अनुसार पैरा-वार उत्तर दिया जाए। अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। • केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के विरूद्ध श्री रविदास द्वारा सी आई सी के समक्ष प्रस्तुत की गई एक शिकायत भी थी।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ड.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	**3536/- रूपए**
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	भारत निर्वाचन आयोग पाक्षिक आधार पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आर टी आई अनुरोधों (भारत निर्वाचन आयोग में प्राप्त) के निपटान पर विचार कर रहा है। आयोग ने आर टी आई मामलों के लिए प्रशिक्षण पर अपने सी पी आई ओ की एक छोटी टीम हाल ही में भेजी है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य

(ए. एन. दास)
अवर सचिव
एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी